संख्या—सम्ब0 886 / सत्तर—6—2014—2(852) / 2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग—6

लखनऊः दिनांकः 25 जून, 2014

विषयः— महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक— सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 2815 / 2014, दिनांक 30.05.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा—37(2) के परन्तुक के अधीन स्व0 अर्जुन सिंह रानी इन्दिरा सिंह महाविद्यालय, गुरगौला, जयरामपुर, फतेहपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र विषयों में तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:—

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र—बी में इंगित कमियों यथा— याचित पाठ्यक्रम के प्रवक्ता विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है, को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता संबंधी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा—37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या—61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20—12—2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 / सत्तर—2—–2013—2(650) / 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या—सम्ब0 886(1) / सत्तर—6—2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
3. अपर सचिव,राज्य उच्च शिक्षा परिषद्,छठां तल,इन्दिरा भवन,लखनऊ को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. प्रबन्धक, स्व0 अर्जुन सिंह रानी इन्दिरा सिंह महाविद्यालय, गुरगौला, जयरामपुर, फतेहपुर ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।